समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–30 / 2019–20

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

अजहर हुसैन एवं अन्य

–::आदेश::–

04.03.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–26 / 2019–20, दिनाक–22.11. 2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि बोकारो थर्मल थाना कांड सं0–100 / 2019, दिनांक–29.07.2019, धारा–379 / 411 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जप्त पेलोडर वाहन सं0 1.JH02AM-9548 वाहन मालिक अजहर हुसैन पिता हसन अंसारी सा0–हंसागढा थाना–माण्डु जिला रामगढ 2. हाईवा सं0–NL03A-9920 वाहन मालिक अप्राप्त एवं उसपर लदे करीब 18 टन स्टीम कोयला का परिवहन करने के आरोप में प्राथमिक अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राजसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–29.07.2019 को शाम 4:30 बजे लगभग जारंगडीह खुली खादान के चेक पोस्ट से बिना चालान एवं बिना इंट्री कराये प्रश्नगत वाहन लोडिंग के लिए लोडिंग प्वाईंट की तरफ चला गया। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने शक के आधार पर लोडिंग प्वाईंट पर गया तो देखा कि गाड़ी हाईवा सं0–NL03A-9920 कोयला लोड कर निकल रहा था। गार्ड ने गाडी को रूकवाया तो गाड़ी के रूकते ही उसका चालक गाडी छोडकर भाग गया। जॉच के क्रम में पता चला कि हाईवा मे लगभग 18 टन कोयला लोड किया गया था। बिना ईंट्री के अवैध ढंग से कोलयरी का कोयला तस्करी हेतु ले जाने वाले हाईवा सं0–NL03A-9920 और लोडिंग स्लीप देखे बिना अनुमति के कोयला

लोड करने वाले पेलोडर वाहन सं0 JH02AM-9548 को विधिवत रूप से जप्त किया। वैध कागजात को दिखाने के बजाय गाड़ी को छोड़कर चालक का भागना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके द्वारा अवैध तरीके से कोयला को कालाबजारी करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण पृछा में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत पे लोडर के द्वारा कभी भी जारंगडीह कोलयरी से कोयला नहीं चोरी किया गया है। जब्ती के समय उक्त पे लोडर सी0सी0एल0 जारंगडीह कोलयरी में कार्य कर रहा था। कोलयरी में प्रवेश करने के पहले चेक पोस्ट पर सभी वैध कागजातों के जॉच के बाद ही वाहन को प्रवेश करने दिया जाता है। पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर फर्जी तरीके से प्रश्नगत वाहनों को कोयले का अवैध परिवहन करने के आरोप में जप्त कर लिया गया। विपक्षी की कोई गलती नहीं है क्योंकि कागजातों के जाँच के उपरान्त ही हाईवा को कोलयरी में प्रवेश करने दिया गया था। अतः कानुन के नजर में यह वाद पोषणीय नहीं है। अंत वाद की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में विद्वान सहायक लोक अभियोजक की दलील, दाखिल कारण पृछा एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वैध कागजात को दिखाने के बजाय गाड़ी को छोड़कर मालिक/चालक का भागना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके द्वारा अवैध तरीके से कोयला को कालाबजारी करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। विपक्षी को दिनांक--17.12.2021 को अपना पक्ष रखने का अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित थे। उनके द्वारा दाखिल कारण पृछा न तो संतोषजनक है और न ही उसका कोई ठोस आधार है।

फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना चना सं0–26/2019–20, दिनांक–22.11.2019 को स्वीकृत करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation

and Storge) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में बोकारो थर्मल थाना कांड सं0–100/2019, दिनांक–29.07.2019 के अन्तर्गत जप्त पेलोडर वाहन सं0 JH02AM-9548 एवं हाईवा सं0–NL03A-9920 तथा उसपर लदे करीब 18 टन स्टीम कोयला को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

04/3/2022 04/3/2022

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.21 17:02:17 +05:30
Location: 192.168.1.109